फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री उत्कर्ष **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 104/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 06.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सेग्रीगेशन के दौरान नक्शा तरमीम में सेहवन से आराजी नम्बर 1370/1240 को आराजी नम्बर 1302/1240 के अन्दर आंशिक तरमीम कर दी गई है आराजी नम्बर 1370/1240 खातेदार उत्कर्ष पिता सुधीर जैन काबिज होने से इसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम को शुद्व किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली के रिपोर्ट अनुसार मौजा भीमल की आराजी संख्या 1370/1240 की राजस्व नक्शें में गलत तरमीम के रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भूमि की तरमीम नक्शें नामान्तरण पत्रावली में चस्पा नहीं हैं। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के तीन तरफ 4–6 फीट ऊंची दिवार बना रखी हैं तथा पानी के लिए एक कुंआ खुदा हुआ है जिस पर बिजली कनेक्शन लगा हुआ हैं तथा निवास के लिए मकान बना हुआ हैं। प्रार्थी ने जो बाउण्ड्रीवाल बना रखी हैं वह तरमीम कब्जे अनुसार नहीं की गई हैं, जिसमें प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम को शुद्व किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण के अवलोकन से उक्त नक्शा ट्रेस में त्रुटि होना प्रतीत होता हैं। संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम सही नहीं हुई हैं गलत तरमीम होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के साथ नक्शें में तरमीम की अशुद्वि को शुद्व करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पेश किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131 का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीमल पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 1370/1240 भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:15 IST
Reason: SelfAttested